


29-11-19 वकील प्रार्थी उपस्थित नहीं

बार-बार आवाज लगाने के
उपयुक्त भी प्रार्थी असालतक
वकालत उपस्थित नहीं और
पर दिनांक 1-3-2017 को
जारी आदेश निषेधाज्ञा के
निरस्त किया जाकर पत्रावली
वर्तमान कतब पर अद्य पर्यंत
अद्य होजरी शरीफ की जाती
है पत्रावली जरूर से कत
की जाकर वाड वकील भूल
बाद संख्या 49/2017 के साथ
संलग्न है।


(कपिल भादव)

